"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2014—भाद्र 4, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 11 के सामने कॉलम (5) में, शब्द "पुलिस महानिरीक्षक" के स्थान पर, शब्द "पुलिस उप महानिरीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 6 के सामने कॉलम (6) में, चिन्ह एवं शब्द "(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) तीन पुलिस महानिरीक्षक-उसमें से वरिष्ठतम-अध्यक्ष और अन्य दो-सदस्य" के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द "(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के तीन अधिकारी जिसमें से वरिष्ठतम, अध्यक्ष होगा और अन्य दो, सदस्य होंगे." प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 26th August 2014

NOTIFICATION

No. F 2-254/2-Home/S.P.S./2006 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, for the words "Inspector General of Police" in column (5) against serial number 11, the words "Deputy Inspector General of Police" shall be substituted.

2. In Schedule-IV, for the symbol and words "(To be nominated by the Director General of Police) Three Director Inspector General - Senior most of them - Chairman and Other two Members" in column (6) against serial number 6, the symbol and words "(To be nominated by the Director General of Police) Three Officer of the level of Deputy Inspector General of Police, of whom the senior most shall be the Chairman and other two shall be the Members" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.